| तारीख क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | **09.1.19**<br>राजपैरोकार व अप्रार्थी अभिभाषक उप.। बहस अ.पत्र अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 16.1.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)<br><br>**16.1.19**-:<br>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उक्त पक्ष उप.। प्रकरणगत आराजी का संपरिवर्तन होने से प्रार्थी का अ.पत्र 177 RTA खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। T.D.R. Hmgh को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।<br>आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर)<br><br>सहायक कलक्टर<br>एवं उपखण्डाधिकारी<br>हनुमानगढ़ |

Scanned by CamScanner

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।**

राजस्व वाद संख्याः—305/2015

अनवानः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ ।

बनाम

मै.हनुमानगढ ईन्ट उद्योग खातेदार भादरराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन डिंगावाली प्रोपराईटर सुधीर सहारण पुत्र भादरराम पुत्र सरदाराम जाति जाट निवासी मकान नम्बर 150 वार्ड नम्बर 38 सैक्टर नम्बर 9 हनुमानगढ जं.।

————अप्रार्थी

उपस्थितः—

1.पैरोकार राज स्वयं उपस्थित

2.श्री राजेश दीपराम, एडवोकेट—अप्रार्थी।

दिनांकः— 16.1.2019

**निर्णय**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी के नाम से चक 20 एच एम एच के पत्थर नम्बर 116/281 में किला नम्बर 18 से 23 कुल 1.518 हैक.कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में से खातेदारी दर्ज है प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी के पास कृषि कार्य हेतु है तथा उनके द्वारा राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत उक्त कृषि भूमि को अकृषि कार्य में संपरिवर्तित नही करवाया हुआ है किन्तु ईन्ट भट्टा बना हुआ है जिसकी जानकारी प्रार्थी को रिपोर्ट महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन/ पटवारी हल्का से हुई है। अप्रार्थीगण को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई थी किन्तु अप्रार्थीगण ने बिना किसी स्वीकृति व राज्य सरकार के नियमों व विनियमों के तहत भू—रूपांतरण करवाये अकृषि कार्य(ईन्ट उद्योग) हेतु प्रयोग में लिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तो का उल्लंधन गया है जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थीगण को बेदखल करवाकर आराजीराज घोषित करवा कब्जा पाने का अधिकारी एवं दावेदार है। अतः प्रार्थना पत्र 177 आर टी ए स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे आदि।

वाद पत्र/प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस राजपैरोकार दिनांक 11.7.2016 को सुनी जाकर प्रश्नगत रकबा पर अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर तहसीलदार हनुमानगढ को कृषि भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल कर व आराजीराज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण की और से आदेश

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 27.7.2016 को पारित आदेश 11.7.2016 को स्थगित किया गया व दिनांक 11.7.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर पारित आदेश दिनांक 11.7.2016 को अपास्त किया जाकर पुनः प्रकरण 177 आर टी ए नम्बर पर दर्ज कर विधि सम्मत सुनवाई हेतु आदेशित किया गया।

अप्रार्थी सुधीर कुमार द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि से चक 20 एच एम एच के पत्थर नम्बर 116/281 में किला नम्बर 18 से 23 कुल 1.518 हैक.कृषि भूमि पर ईन्ट भटटा स्थापित है तथा इसका संपरिर्वतन करवाया जा चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजपैरोकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी बहस अंतिम सुनी गई। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को बहस में दोहराया व कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी का संपरिर्वतन करवाया जा चुका है जिसकी चित्र प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ शामिल पत्रावली की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे जिसका राजपैरोकार द्वारा विरोध किया गया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रशनगत रकबा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी भादरराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में मौका पर प्रश्नगत आराजी में ईन्ट भट्टा चालू होना साबित है जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया है। अप्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी जिस पर ईन्ट भटटा संचालित है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक भू.रू./2018/771–777 दिनांक 27 सितम्बर 2018 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ ईन्ट भटटा उद्योग हेतु संपरिर्वतन करवा लिया है तथा पंजीयन भी करवा लिया है। संपरिवर्तन आदेश की चित्र प्रति शामिल पत्रावली है। चूंकि प्रश्नगत आराजी का भू.उपयोग संपरिर्वतन होने से राज.काश्तकारी अधि.1955 की शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित पाता हुँ।

**आदेश**

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संपरिर्वतन आदेश चक 20 एच एम एच के पत्थर नम्बर 116/281 में किला नम्बर 18 से 23 कुल 1.386 हैक्टर के आधार पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को निर्णय की एक प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

# न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– राकेश कुमार (आर.ए.एंस.)

प्रकरण संख्या :– 305/2015

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार हनुमानगढ़।

———प्रार्थी

**बनाम**

हनुमान ईंट उद्योग (सुधीर पुत्र भादरराम पुत्र सरदाराराम साकिन ढ़ीगावाली)।

———**अप्रार्थी/खातेदार काश्तकार**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए**

उपस्थित :–

1. पैरोकार राज स्वयं उपस्थित प्रार्थी

**निर्णय** **दिनांक :–** 11/2/16

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी राजस्थान राज्य की कृषि भूमि का भू–धारक है तथा भू–धारक की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। चक 20 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 116/281 मे कि.न. 18 ता 23 कुल 1.518 है0 भूमि है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के पास कृषि कार्य हेतु है तथा अप्रार्थी या पूर्व खातेदार काश्तकार ने इस भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि कार्य मे संपरिवर्तन नही करवाया हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ईंट भट्टा बना रखा है जिसकी जानकारी प्रार्थी को हल्का पटवारी की रिपोर्ट से हुई है। अप्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों मे भू–रूपांतरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) हेतु प्रयोग मे लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तो का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करवा प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करवा कब्जा पाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय अदालत के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण मे बिना न्याय शुल्क के प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर प्रश्नगत कृषि भूमि प.न. 116/281 मे कि.न. 18 ता 23 कुल 1.518 है0 कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करने व कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

पत्रावली पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार राज की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र साबित करने मे सफल रहा है। वादग्रस्त भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु अप्रार्थी ने उसको दिये गये अधिकारो का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि से भिन्न कार्यो हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नही करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है।

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित ना हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 20 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 116/281 मे कि.न. 18 ता 23 कुल 1.518 है0 कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते है और तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मे से अप्रार्थी को बेदखल किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी के स्थान पर आराजीराज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/2/16 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.08.16 17:38:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: